<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।
<u>जी0आर0नं0:–822/2021</u>
दाउदनगर थाना कांड संख्या :–487/2021

<u>18.10.2021</u> आवेदक भीम यादव एवं सोनु यादव की ओर से उपस्थिति पत्र एवं आवेदक भीम यादव की ओर से शक्ति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अ0प0 को दी गई है । आवेदक की ओर से सोनु यादव का उम्र सत्यापन से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2021 का निर्गत प्रवेश पत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक भीम यादव का पुत्र सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार है, जो उक्त वाद में अभियुक्त है । शैक्षणिक प्रमाण पत्र के तहत सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार का जन्म तिथि दिनांकः–01.01.2006 है, जिसके अनुसार, उक्त वाद में वर्णित घटना की तिथि को सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार अवयस्क था । अतः सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार के वाद को किशोर न्याय परिषद् औरंगाबाद में भेजने की कृपा की जाय ।

सुना । अभिलेख एवं आवेदक के द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि उक्त आवेदक भीम यादव का पुत्र सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार इस वाद में अभियुक्त है । आवेदक भीम यादव की ओर से सोनु कुमार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2021 का निर्गत प्रवेश पत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसमें सोनु कुमार का जन्म तिथि दिनांकः–01.01.2006 अंकित है । प्राथमिकी के कॉलम में भी सोनु कुमार का उम्र 16 वर्ष अंकित है । विधि विरूद्ध किशोर सोनु कुमार आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित था । उक्त दाखिल दस्तावेजों में वर्णित जन्म तिथि के तहत एवं प्रथम दृष्टया देखने से भी विधि विरूद्ध किशोर सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार अवयस्क प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के अवलोकनार्थ उपरोक्त विधि विरूद्ध किशोर सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार का वाद को किशोर न्याय परिषद् औरंगाबाद में प्रेषित किया जाता है । उपरोक्त आवेदक भीम यादव को निर्देश दिया जाता है कि विधि विरूिद्ध किशोर सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार को पन्द्रह दिन के अंदर किशोर न्याय परिषद् औरंगाबाद में उपस्थापन सुनिश्चित करायेंगे । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि सोनु यादव उर्फ सोनु कुमार के वाद को पृथक करते हुए किशोर न्याय परिषद्, औरंगाबाद को प्रेषित करें तथा इससे सम्बन्धित आदेश की छायाप्रति उक्त वाद के अनुसंधानक को भी उपलब्ध करावें ।

उ0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।